1/7/22

कोई उपस्थित नहीं। वादीया एवं वकील वादीया उपस्थित नहीं। उन्हें कई बार आवाज लगाई गई। कोई हाजिर जवाब नहीं आया। अत: दावा वादीया अदम हाजिरी व अदम पैरवी के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर आफिस दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)